



आजादी का  
अमृत महोत्सव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर



क्रमांक : एफ 20( )कार्मिक/प्रमुवसं/2022-23/

दिनांक :

### कार्यालय आदेश

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ 3(0)2023/कार्मिक(मृ.अ)/प्रमुवसं/1706 दिनांक 30.05.2023 के द्वारा मृतक राज्य कर्मचारी स्व. श्री रामनारायण सैनी, कैटलगार्ड के आश्रित श्री हेमराज सैनी को मृतक राज्य कर्मचारी को इस कार्यालय में आवंटित किया गया है। अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई (Provisional) आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान अधोलिखित शर्तों पर वित्त (नियम प्रकोष्ठ) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15 (1) वित्त/नियम/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के नियम-16 शिड्यूल IV के प्रावधानानुसार पै मैट्रिक्स लेवल एल-1 में 12600/- (बारह हजार छः सौ मात्र) रुपये प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा:-

#### उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है।
2. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
5. राजस्थान सरकार की अधिसूचना सं. 7(2) डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20.1.2006 एवं प.11(7) वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.9.08 के प्रावधानान्तर्गत **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी** के पद पर नियुक्ति 2 वर्ष की कालावधि के लिये परीवीक्षा में प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि में फिक्स पे रुपये 12400/- देय होगा परिवीक्षा काल संतोषजनक पाये जाने पर पै मैट्रिक्स लेवल एल-1 में नियमानुसार वेतन निर्धारण किया जावेगा। परिवीक्षा के दौरान वेतनवृद्धि देय नहीं होगी। परिवीक्षा काल संतोषजनक नहीं पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण करने की अपेक्षा की जा सकेगी जो सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 16 व परिशिष्ट 4 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।
8. परिवीक्षाकाल (Probationer-Trainee) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
9. कार्मिक विभाग राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 27.2.2001 द्वारा नियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण पोषण नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका नियमितकरण एवं वेतन निर्धारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पै-मैट्रिक्स लेवल संख्या- में नियमानुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

Signature valid

Digitally signed by Prajdeep Kumar  
Designation: Deputy Conservator  
Of Forest  
Date: 2023.06.16 10:45:52 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4027337





11. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की इनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी की सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी एवं पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेंगी।
12. अभ्यर्थिय की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
13. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
14. परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
15. वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक प.2 (2) वित्त (नियम)/2021 पार्ट दिनांक 25.02.2022 एवं 26.05.2022 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती की जायेंगी।
16. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या एफ-7 (1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात किसी भी समय दो से अधिक बच्चे होने पर इन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
17. वित्त (बीमा) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5. (5) FD/INSURANCE /2020 दिनांक 09.04.2021 के अनुसार RGHS लागू होगी।
18. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हो उनके अधीन सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
19. उक्त नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/नियम/परिपत्रों के अध्ययधीन होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/नियम/परिपत्र लागू होंगे।
20. अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन या अन्य कोई दस्तावेज शेष हैं, वह कार्यग्रहण करने से पूर्व उक्त दस्तावेज संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करें।
21. इनका वेतन लेखामद 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01 -वानिकी 001 -निदेशन तथा प्रशासन (02) अधिनरथ एवं दक्ष कर्मचारी वर्ग (आयोजना भिन्न) से आहरित किया जावेगा।

(प्रदीप कुमार)

उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
राजस्थान, जयपुर

**Signature valid**

Digitally signed by Praadeep Kumar  
Designation: Deputy Conservator  
Of Forest  
Date: 2023.06.16 10:45:52 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4027337





क्र. मांक : एफ 20( )कार्मिक/प्रमुवसं/2022-23/1103-11

दिनांक : 16/6/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक एफ 3 (0)2023/कार्मिक (मृ.आ) /प्रमुवसं/1706 दिनांक 30.05.2023 के क्रम में।
2. उप वन संरक्षक बून्दी।
3. निजी सहायक, मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन) राजस्थान जयपुर।
4. उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।
5. प्रभारी कार्मिक-स्ट्रेन्थ/गोपनीय अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. श्री हेमराज सैनी पुत्र श्री रामनारायण सैनी निव:सी-ग्राम खोड़ी पोस्ट जजावर, तहसील-नैनवा, जिला-बून्दी राजस्थान पिन कोड-323801।
7. निजी पत्रावली श्री .....
8. रक्षित पत्रावली।

upload on website

Pradeep  
16/6/23

(प्रदीप कुमार)

उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Pradeep Kumar  
Designation: Deputy Conservator  
Of Forest  
Date: 2023.06.16 10:45:52 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4027337

